संख्या-4/50/21-उर्दू-1-2014-(303/2013)

प्रेषक,

डा0 ललित वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 उर्दू अकादमी
विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनउ।

भाषा उर्दू अनुभाग-1 लखनउ दिनांक 19 फरवरी,2014

विषय-उ0प्र0 उर्दू अकादमी के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त् विभाग के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-498/दस-2013 दिनांक 12 अगस्त 2013 द्वारा लिये गये सामान्य निर्णय के क्रम में उ0प्र0 उर्दू अकादमी के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष तत्काल प्रभाव से निर्धारित किय जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते हैं।

2- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई-7-215/दस-2014 दिनांक 17 फरवरी,2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 ललित वर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या-50/21-उर्दू-1-2014-(303/2013)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ्र् एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी कलेक्टेट लखनउ ।
3- वित्त वेतन आयोग अनुभाग'2, उ0प्र सचिवालय ।
4- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7,उ0प्र0 सचिवालय ।
5- गोपन अनुभाग-1,उ0प्र0 सचिवालय ।
6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

http://shasanadesh.up.nic.in

(बजेश चन्द्र)
अनु सचिव भाषा

http://shasanadesh.up.nic.in